



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275843
CG-DL-E-27082026-275843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4592]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4592]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4777(अ).— भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश संख्या 1586(अ) दिनांक 25 मार्च 2026, जो कि आई.वी. के तरल पदार्थ (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाये:

(1) क्र. संख्या 7 को सारणी 'क' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र. सं.	दवाइयां	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (थोक मूल्य सूचकांक सहित 0.64956% की दर से 1.4.2026 से प्रभावी) (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	मैनिटोल	नॉन ग्लास विशेष विशेषता पैकेज के लिए 300 मिली पैक में 20% इंजेक्शन	प्रति मिली	0.41

(2) क्र संख्या .14 को सारणी 'ख' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
14.	मेसर्स सिलिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (नीचे नोट छ1)	यूरो हेड/ यूरो हेड डुअल पोर्ट

(3) खंड (छ1) को खंड (छ) के बाद जोड़ा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“(छ1) सारणी 'ख' की क्रमांक संख्या 14 में उल्लिखित मेसर्स सिलिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, सारणी 'क' की केवल क्रमांक संख्या 1, 2, 6 और 7 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

[का.सं./282/150/2026/एफ / फा.सं. 8(150)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ADDENDUM

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4777(E).— The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1586(E) dated 25th March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of I.V. fluids (non-Glass with special features) is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 7 shall be added in Table 'A' as below:

Sl. No.	Medicines	Dosage form and Strength	Unit	Ceiling price (w.e.f. 1.4.2026 with WPI @ 0.64956%) (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Mannitol	Injection 20% in 300 ml pack for packages in non-glass with special features	Per ml	0.41

(2) Sl. No. 14 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
14.	M/s Silica Healthcare Pvt. Ltd. (note g1 below)	Euro Head/ Euro Head Dual Port

(3) Clause (g1) is added after clause (g) & shall be read as follows:

“(g1) In case of M/s Silica Healthcare Pvt. Ltd. mentioned in Sl. No. 14 of Table B, only the prices of the formulations specified at Sl. No. 1, 2, 6 and 7 of Table A are applicable”.

[PN/282/150/2026/F / F. No. 8(150)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director